न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 152/2023
सरकार बनाम हसीन आदि।
अंतर्गत धारा– 323, 504 भा०दं०सं० व 3(2)(va)
एस०सी०/एस०टी० (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
मु०अ०सं० 230/2023
थाना– गढ़मुक्तेश्वर, जिला–हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 26.07.2024

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण हसीन, फिरोज, सन्नवर व गुलजार जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण हसीन, फिरोज, सन्नवर व गुलजार के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 323, 504 व एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 12.08.2024 को पेश हो।

दिनांकः– 26.07.2024

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Honey Goel

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2024.07.30 17:14:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 152/2023
सरकार बनाम हसीन आदि।
अंतर्गत धारा– 323, 504 भा०दं०सं० व 3(2)(va)
एस०सी०/एस०टी० (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
मु०अ०सं० 230/2023
थाना– गढ़मुक्तेश्वर, जिला–हापुड़।

<u>आरोप</u>

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण हसीन, फिरोज, सन्नवर व गुलजार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

<u>प्रथम</u>– यह कि दिनांक 19.05.2023 को समय 09.30 बजे रात बस्थान वादिनी का घर, आदर्शनगर, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने वादिनी पक्ष के साथ स्वेच्छया से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>द्वितीय</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी पक्ष को अपमानित करने के आशय से गंदी–गंदी गालियां दीं। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>तृतीय</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी पक्ष, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या हैं, को अवमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, अपमानित करने के आशय से गाली–गलौज की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।
दिनांकः– 26.07.2024

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांकः– 26.07.2024

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।